



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15042026-271778
CG-DL-E-15042026-271778

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1796]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 13, 2026/चैत्र 23, 1948

No. 1796]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 13, 2026/CHAITRA 23, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2026

का.आ. 1865(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, आंध्र प्रदेश राज्य के मार्कापुरम जिले में (दोर्नाला से कुंटा सेक्सन) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-765 के कि.मी 248.000 से कि.मी 268.700 तक के निर्माण (पेव्ड शोल्डर के साथ दो/चार लेन में उन्नयन आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचलन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH765 पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7	
1	संयुक्त कलेक्टर, मार्कापुरम	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH765 के कि.मी 248 से कि.मी 268.7 तक	आंध्र प्रदेश	मार्कापुरम	दोर्नाला	1	दोर्नाला
						2	चिन्ना दोर्नाला
						3	चिन्नागुडीपाडु
					पेदाराविदु	1	सनिकावरम
						2	मदालकट्टा
						3	चटलमेट्टा
						4	बोयडागुम्पुला
						5	राजमपल्ली
						6	ओबुलक्कापल्ली
						7	थोकापल्ली
						8	कुंटा

[फा. सं. Rc.No.LA-1/31/2026]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2026

S.O. 1865(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for building (upgradation to 2/4 lane with paved shoulders etc.) maintenance management and operation from km. 248.000 to Km. 268.700 of (Dornala to Kunta Setion) of the National Highway No. 765 in the District of Markapuram in the State of Andhra Pradesh.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH765 in the State of ANDHRA PRADESH.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	Joint Collector, Markapuram	NH765 KM 248 TO KM 268.7	ANDHRA PRADESH	Markapuram	Dornala	1 Dornala 2 Chinna Dornala 3 Chinnagudipadu
					Peddaraveedu	1 Sanikavaram 2 Maddalakatta 3 Chatlametta 4 Boyadagumpula 5 Rajampalli 6 Obulakkapalli 7 Thokapalli 8 Kunta

[F. No. Rc.No.LA-1/31/2026]
SHAIKH AMINKHAN, Director